

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन नं० 0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

26-08-2013

आवेदक श्री आनन्द प्रसाद, पिता—श्री शारदा प्रसाद, सा०—एम०जी०आई० हाऊस सं०—89, लोहिया नगर, थाना—कंकड़बाग, जिला—पटना से प्राप्त एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन—पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या—09—828/2009 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक—26.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे ग्रामीण कार्य विभाग में ठीकेदारी का कार्य करते हैं। उनके मोबाईल पर वर्ष 2010 में बिन्दु सिंह के नाम पर रंगदारी की माँग की गयी थी। जिस संदर्भ में कंकड़बाग थाना कांड सं०—170/10 अंकित किया गया था। अनुसंधान पश्चात काराधीन अभियुक्त बिन्दु सिंह के विरुद्ध धारा—387/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—446/गो०, दिनांक—23.05.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, कंकड़बाग के अनुशंसा से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, कंकड़बाग द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक ठीकेदारी का कार्य करते हैं। आवेदक के मोबाईल पर वर्ष 2010 में बिन्दु सिंह के नाम पर रंगदारी की माँग की गयी थी। जिस संदर्भ में कंकड़बाग थाना कांड सं०—170/10 अंकित किया गया था। अनुसंधान पश्चात काराधीन अभियुक्त बिन्दु सिंह के विरुद्ध धारा—387/34 भा०द०वि० के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।


वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान—माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री आनन्द प्रसाद, पिता—श्री शारदा प्रसाद, सा०—एम०जी०आई० हाऊस सं०—89, लोहिया नगर, थाना—कंकड़बाग, जिला—पटना को उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन०पी०बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री प्रसाद को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पांसपोट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगे।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।